न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–179/2013 वादपत्र

उनवान

1–भवरलाल पुत्र छीतरमल जी गुर्जर, आयु वयस्क निवासी भोपालगंज, भीलवाडा हाल निवास–गाँधीनगर, भीलवाड़ा (राज) –वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर भीलवाडा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

3–नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा

4–श्रीमती जड़ाई बाई धर्मपत्नि स्व.गंगाराम विश्नोई नि.दरीबा हाल मुकाम खेजड़ी वाली माताजी के पास , बी सेक्टर आजादनगर , भीलवाड़ा (मृतक)

5–बंशीलाल पुत्र स्व गंगाराम जी विश्नोई, निवासी–दरीबा हाल मुकाम खेजडी वाली माताजी के पास, बी–सेक्टर, आजादनगर, भीलवाडा (राज) – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 एवं 92 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा मे प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :–

1– अधिवक्ता वादी श्री राकेश जैन

2– अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 05 की और से आदित्य जाजपुरा

3– प्रतिवादी सं.01 व 02 की और से पैरोकार सरकार

4– प्रतिवादी सं.04 की और से रामेश्वरलाल जाट

निर्णय दिनांक. 11.9.24

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88–89 188–92 (क) रा. टि.ए. वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पान्सल तहसील व जिला भीलवाड़ा में श्री मनमथ सिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत निवासी–पांसल के नाम पर अन्य आराजियात के साथ–साथ साबिक आराजी नम्बर–1669/4 व 1671/1 राजस्व अभिलेख में दर्ज रेकॉर्ड थी। मनमथ सिंह जी ने उक्त आराजियात अन्तरित कर दी थी, जो आगे से आगे अन्तरित होते हुए राजस्व अभिलेख में गंगाराम पुत्र रंगलाल विश्नोई, निवासी–दरीबा के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। गंगाराम जी की क्रयसुदा उक्त आराजियात के नवीन बंदोबस्त में नवीन आराजी नं 3194 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर–3198 रकबा 09 नौ बिस्वा कुल किता 2 दो रकबा 1.01 एक बीघा एक बिस्वा कायम हुए। गंगाराम पुत्र रंगलाल विश्नोई से अन्य आराजियात के साथ–साथ उपरोक्त आराजी नं 3194 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर–3198 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 दो रकबा 1.01 बीघा भूमि वादी को 99/–रूपयों में दिनांक 01.10. 1974 को विक्रय कर विक्रयसुदा भूमि पर वादी का आधिपत्य करा दिया, जिस पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वक्त क्रय से ही वादी आज पर्यन्त काबिज हो निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी उक्त आराजियात का सद्भावी क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) है, किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूल व गलती से राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी। प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा ने अनाधिकार उक्त आराजियात जो मनमथ सिंह जी द्वारा 06.05.1972 से पूर्व विक्रय कर दी गई एवं उत्तरोत्तर क्रेताओं से होते हुए गंगाराम विश्नोई के नाम पर दर्ज हुई को धारा 42 (ए) आर.टी.ए से प्रभावित मानकर ऐसे बिकावों को शून्य मानते हुए सिलींग कार्यवाही में लेकर अधिगृहित कर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया। इसके पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजियात नगर विकास न्यास हेतु आरक्षित कर दी गई। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ने उक्त आराजियात को विड्रॉल कर दिया, जिससे उक्त भूमि जरिये इंतकाल संख्या–2404 दो हजार चार सौ चार से पुनः बिलानाम दर्ज हो गई किन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में आज भी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज है। यह कि मनमथ सिंह जी द्वारा उपरोक्त आराजियात का किया गया बिकाव व उसके क्रेता द्वारा किये गये उत्तरोत्तर बिकाव निर्धारित तिथि दिनांक 06.05.1972 से पूर्व किये गये हैं, जो पूर्णत वैध है, धारा 42 (ए) आर.टी.ए. को माननीय उच्च न्यायालय ने भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिससे उपरोक्त आराजी नम्बर–3194, 3198 का श्री गंगाराम विश्नोई के पक्ष में बिकाव पूर्णत वैध था. जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय से कर दी है एवं इसी आधार पर वादी के पक्ष में गंगाराम जी द्वारा किया गया बिकाव भी पूर्णतः वैध है। गंगाराम जी जो कि उपरोक्त भूमि के वैध स्वत्वधारी एवं खातेदार काश्तकार थे से उपरोक्त भूमि वादी ने दिनांक 01.10 1974 को क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त कर ली एवं वादी का ही मालिकाना हैसियत से उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त आज पर्यन्त निरन्तर चला आ रहा है, किन्तु उक्त आराजी वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादी उक्त आराजी संख्या–3194, 3198 रकबा 1.01 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है एवं स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि उक्त वादग्रस्त आराजियात के अलावा अन्य आराजियात भी वादी ने गंगाराम जी विश्नोई से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की थी, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहां वाद प्रस्तुत कर रखा है. जो विचाराधीन हो, जैर कार्यवाही है। यह है कि वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का सदभावी क्रेता है एव वक्त क्रय से ही वादी का उक्त वादग्रस्त आराजियात भूमि पर आज पर्यन्त निरन्तर कब्जा काश्त बहैसियत मालिकाना हक से चला आ रहा है, किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द, अन्तरित एवं भारित करने पर आमादा है. जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन आराजी नम्बर–3194,

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3198 रकबा 1.01 बीघा भूमि का विक्रय, रहन बक्षीश या अन्य किसी भी तरह से इस भूमि का अन्तरण किसी को नही करे एवं उक्त भूमि को बेदखल नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त, शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की दखलंदाजी प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे एवं नही किसी अन्य से करावे । प्रतिवादी तहसीलदार भीलवाड़ा को भी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि वह न्यायालय के अनुमति के बिना उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख मे कोई भी परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के नाम पर नही करे ।

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया गया प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादी सं.4 व 5 की ओर से जवाब दिनांक 04.02.2014 को पेश किया , प्रतिवादी सं.2 की ओर से जवाब पेश किया । प्रतिवादी सं. 03 ने दिनांक 25.02.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11जा.दी.पेश किया जो इस प्रकार है कि प्रकरण मे वादी के द्वारा 09 बी नगर विकास न्यास अधिकारी के तहत नोटिस नही दिया गया है जिससे नोटिस के बिना उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता क्यो कि अधिनियम मे mandadatory provision है। वादी के द्वारा वादपत्र मे खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गयी है जबकि उत्तरदाता को श्रीमान जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उनके आदेश क्रमांक एफ–12–1(12)आर.ए./04 दिनांक 27.09.2005 से वास्ते आबादी हेतु आवंटन सप्रतिफल लेकर किया गया है तथा जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय मे चाराजोही नही की गयी है । अतःवाद किस्म आबादी की होने से आप के न्यायालय मे चलने योग्य नही है । इस प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से पेश नही किया , 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा. दी.का पेश नही करने से उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी का जवाब बन्द किया जाता है । प्रतिवादी सं.02 के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11जा.दी. पर बहस सुनी गयी । वादी अधिवक्ता ने बहस मे भाग नही लिया ।

प्रतिवादी सं.02 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी.मे वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का वादपत्र खारिज कराया जावे ।

वादी के वादपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन किया गया । वादग्रस्त आराजी ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू.अभिलेख पांसल के आराजी नं. 3194 रकबा 0–12 बीघा एवं आ.न. 3198 रकबा 0–09 बीघा भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है । उक्त आराजी के साबिक नं. 1669/4, 1671/1 जो मनमथसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत नि.पांसल के नाम दर्ज थी । वादी ने ग्राम पांसल के हाल आ.न. 3194 रकबा 0–12बीघा, 3198 रकबा 0–09 बीघा भूमि 99/–रू. मे गंगाराम पिता रंगलाल विश्नोई से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । उक्त भूमि सम्वत् 2033 की जमाबंदी अनुसार बिलानाम दर्ज हुई। वादी ने विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी की घोषणा करा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गयी है । जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

एफ–121(12)आर.ए./04 दिनांक 27.09.2005 से वादग्रस्त आराजीयात् आबादी हेतु आवंटन सप्रतिफल किया गया है । आराजी नम्बर 3194 रकबा 0–12 बीघा व आराजी नं. 3198 रकबा 0–09 बीघा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज हो चुकी है ।

प्रतिवादी सं.03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी.का स्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 व 92 (क) आर.टि.ए.का खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतएव–

आदेश

प्रतिवादी सं.03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी.का स्वीकार कर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 व 92 (क) आर.टि.ए.का खारिज किया जाता है खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । तदअनुसार डिक्री जारी करे ।

(आव्हान निवृत्ति सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 179/2013

1- श्री भंवरलाल पुत्र छीतरमल गुर्जर नि.भोपालगंज,भीलवाड़ा हाल नि.गांधीनगर भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1- राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर ,भीलवाड़ा
2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
3- नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
4- श्रीमती जड़ाईबाई धर्मपत्नि स्व.गंगाराम विश्नोई नि.दरीबा हाल मुकाम खेजड़ी वाली माताजी के पास,बी-सेक्टर , आजादनगर भीलवाड़ा (मृतक)
5- श्री बंशीलाल पुत्र स्व.गंगाराम विश्नोई नि.दरीबा हाल मुकाम खेजड़ी वाली माताजी के पास,बी-सेक्टर , आजादनगर भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) व 188 रा.टि.ए.वादपत्र घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा मे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी.

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन एवं प्रतिवादी सं.04 एवं 05 और प्रतिवादी सं.01 व 02 की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज दिनांक 13.9..2024 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया -

प्रतिवादी सं.03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07नियम 11 जा.दी.का स्वीकार कर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 व 92 (क) आर.टि.ए.का खारिज किया जाता है । खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा